संख्या 40 /XIX/2006

प्रेषक,

मदन सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग देहरादूनः दिनांक 13 जनवरी, 2006

विषय– खरीफ–खरीद विपणन वर्ष 2004–05 में भारत सरकार द्वारा उत्तरांलच राज्य हेतु निर्धारित तदर्थ वाणिज्यिक मूल्य के अन्तर्गत स्वीकृत लेवी चावल की एक्वीजिशन कास्ट के अनुरूप राईस मिलर्स को भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर लेवी कय नीति सम्बन्धी अधिसूचना संख्या–984/XIX/लेवी चावल कय/2004–05 दिनांक 1.11.2004 संख्या 1049/XIX/खरीफ–खरीद/2004–05 दिनांक 18.11.2004, सं01132/XIX/खरीद/2004–05 दिनांक 4.12.2004 तथा सं0 1155/XIX/ खरीफ –खरीद/04–05 दिनांक 13.12.2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पत्र सं0–167 (32)/2004–पी0आई–I, दिनांक 7 अप्रैल, 2005, द्वारा उत्तरांचल राज्य के लिए खरीफ विपणन सत्र 2004–05 हेतु लेवी चावल के तदर्थ वाणिज्यिक मूल्य का निर्धारण किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र सं0 आ0ले0शा0/379 दिनांक 10.8.2005 एवं सं0 240/XIX–2/2005 दिनांक 7.12.2005 द्वारा भारत सरकार से उक्त तदर्थ वाणिज्यिक मूल्य के स्थान पर वास्तविक वाणिजिक मूल्य स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है, जो अभी तक प्रतीक्षित है। भारत सरकार द्वारा उत्तरांलच राज्य हेतु निर्धारित तदर्थ वाणिज्यिक मूल्य के अन्तर्गत स्वीकृत लेवी चावल की एक्वीजिशन कास्ट के अनुरूप भुगतान हेतु राज्य के राइस मिलर्स द्वारा अनुरोध किया जा रहा है।

अतएवं प्रदेश के राईस मिलर्स के द्वारा किये जा रहे अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 7.4.2005 के सलग्नक में विनिर्दिष्ट तदर्थ वाणिज्यिक मूल्य में निहित एक्वीजिशन कास्ट के आधार पर राइस मिलर्स को स्टेट पूल में सम्प्रदान किये गये लेवी चावल के मूल्य के भुगतान की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:–

1– भारत सरकार के पत्र दि0 7–4–2005 द्वारा विनिर्दिष्ट लेवी चावल के मूल्य तदर्थ मूल्य है अतः इस मूल्य में संशोधन की स्थिति में मिलों को भुगतान की जाने वाली धनराशि भारत सरकार द्वारा अन्तिम वास्तविक मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशों के अधीन होगी।

2– यदि भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से निर्धारित लेवी चावल का मूल्य तदर्थ मूल्य से कम होता है तो उसकी वसूली भी तदनुसार सबंधित मिल मालिकों से की जायेगी। जिसे मिल मालिकों द्वारा राज्य सरकार के यथा निर्देश समय से वापस कर दिया जायेगा।

3– उपरोक्त व्यवस्था केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान किये गये चावल पर प्रभावी नही होगी। उक्त तदर्थ मूल्य के अधीन धनराशि का भुगतान करने से पूर्व राइस मिलर्स से यह

बचनबद्धता भी ले ली जाये कि केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान किये गये लेवी चावल पर उनके द्वारा एक्वीजिशन कास्ट के अनुरूप भुगतान की मांग नही की जायेगी।

4— भारत सरकार द्वारा उपरोक्त अवधि हेतु भविष्य में अन्तिम रूप से निर्धारित किये जाने वाले वाणिज्यक मूल्य यदि भारत सरकार के पत्र सं0—167(32)/2004—पी0आई0। दिनांक 7—4—2005 द्वारा निर्धारित तदर्थ मूल्य से कम होते है तो इस प्रकार से अधिक मूल्य भुगतान की धनराशि राइस मिलर्स द्वारा राज्य सरकार को वापस की जायेगी। इस हेतु संबंधित राइस मिलर्स से बैंक गारन्टी भी ली जा सकती है।

5— यदि उक्त धनराशि भविष्य में राज्य सरकार को ट्रेड टैक्स के रूप में देय होती है तो संबंधित राइस मिलर्स उक्त धनराशि का भुगतान राज्य सरकार को करने के लिए बाध्य होंगे।

उपर्युक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वित्त नियंत्रक, खाद्य सहित सम्बन्धित संभागों के वरिष्ठ वित्त अधिकारी, व्यापार कर के रूप में सम्बन्धित राईस मिलर्स को किये गये भुगतान का माहवार/मिलवार विवरण तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आयुक्त व्यापार कर विभाग को उपलब्ध कराते हुए आयुक्त खाद्य एवं शासन को भी अवगत करायेगें।

भवदीय,

(मदन सिंह)
सचिव।

संख्या 40 (1)/XIX/2006,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. जिलाधिकारी, उधमसिंहनगर/हरिद्वार/चम्पावत/नैनीताल/पौड़ी एवं देहरादून।
2. सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, उत्तरांचल।
3. निदेशक, मण्डी परिषद, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
5. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,गढ़वाल/कुमायूँ संभाग।
6. अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्व0वि0मंत्रालय,भारत सरकार,नई दिल्ली को उनके पत्र सं0—167 (32)/2004—पी0आई। दिनांक 7 अप्रैल, 2005, के संदर्भ में
7. आयुक्त, व्यापार कर/बिक्री कर विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
8. वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तरांचल देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
10. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
11. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त उत्तरांचल शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।